भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3476

10.08.2026 को उत्तर के लिए

समर्पित जलवायु-अनुकूल वृद्धावस्था नीति

3476. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हेल्पएज इंडिया द्वारा हाल ही में जारी की गई उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसका शीर्षक क्लाइमेट रिजिलिएंट एजिंग-एनश्योरिंग केयर, डिग्निटी एंड एजेंसी है और जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 78 प्रतिशत ग्रामीण वृद्धजन लू, बाढ़ और सूखे जैसे गंभीर जलवायु खतरों का सामना करते हैं;

(ख) यह देखते हुए कि लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति अत्यधिक गर्मी की स्थिति में असुरक्षित घरों में निवास करते हैं, वृद्धों की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई विशिष्ट आपातकालीन शमन रणनीतियों, कूलिंग आश्रयों या राहत प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिपोर्ट में उजागर की गई चिकित्सीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है, जिसमें 52 प्रतिशत बुजुर्ग उत्तरदाता जलवायु-प्रेरित बीमारियों के दौरान आवश्यक दवाएं खरीदने में असमर्थ पाए गए थे; और

(घ) क्या सरकार एक समर्पित जलवायु-अनुकूल वृद्धावस्था नीति शुरू करने या जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में बुजुर्गों की देखभाल के मानकों को सीधे रूप से शामिल करने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वृद्धों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा वृद्धों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू किया

है। इसका उद्देश्य वृद्धजन आबादी को सुलभ, किफायती, उच्च गुणवत्ता वाली, दीर्घकालिक, व्यापक एवं विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। एनपीएचसीई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का एक घटक है, जिसके अंतर्गत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप-केंद्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें एक तृतीयक स्तर का घटक भी है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों तथा दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, भारत में वृद्धों पर राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधिक सर्वेक्षण "भारत में दीर्घकालिक वृद्धावस्था अध्ययन" (एलएएसआई) परियोजना, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई के माध्यम से संचालित की गई है।

सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एनएपीसीसी) का कार्यान्वयन कर रही है, जो जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है तथा इसमें "जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मिशन" (एनएमसीसीएचएच) नौ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रही संवेदनशील आबादी, जिसमें वृद्धजन भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

इसके अलावा, विषय-विशिष्ट कार्य योजनाएं, जैसे ऊष्मा संबंधी बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना तथा रोगों के लिए स्वास्थ्य अनुकूलन योजना, वृद्धों को संवेदनशील जनसमूह के रूप में मान्यता देती हैं और स्वास्थ्य प्रणाली को वृद्धजन-विशिष्ट उपायों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ऊष्मा तथा खराब मौसम संबंधी घटनाओं के लिए तैयार की गई जनस्वास्थ्य परामर्श एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल में भी वृद्धों को संवेदनशील समूह के रूप में मान्यता दी गई है तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण वृद्धों में रोगग्रस्तता एवं मृत्यु-दर को कम करने के लिए लक्षित उपाय किए जाते हैं। इन कार्य योजनाओं के अंतर्गत वृद्धों को हीट स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयों तथा चेस्ट क्लीनिकों के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय उपशामक देखभाल कार्यक्रम (एनपीपीसी), राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबीवीआई), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी), राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी) तथा राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) ऐसे अन्य कार्यक्रम हैं जो वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
